पंचायत निगरानी संख्या : 444/2024
उनवान : पवनी देवी के कायम मुकाम वारिसान देवाराम व अन्य बनाम भंवरलाल व अन्य
अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 444/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/573

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
पवनी देवी पत्नी देवाराम के कायम मुकाम वारिसान वारिसानः–		1. भंवरलाल पुत्र समाजी, जाति घांची निवासी गलथनी, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली राज.
1.1. देवाराम पुत्र अनाराम		2. सरपंच ग्राम पंचायत जवाई बांध, पंचायत समिति सुमेरपुर, जिला पाली राज.
1.2. गुड़िया कुमारी पुत्री देवाराम		
1.3. अमरी पुत्री देवाराम		
1.4. नन्दा पुत्री देवाराम	बनाम	
1.5. महेन्द्र कुमार पुत्र देवाराम नाबालिग जरिये सरंक्षक पिता देवाराम तमाम जातिगण मेणा, निवासीगण गलतथनी, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली राज.		

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत ऐरनपुरा रोड़ वर्तमान ग्राम पंचायत जवाई बांध के पट्टा क्रमांक 1170 जो प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 21.03.1998 द्वारा जारी को निरस्त किये जाने बाबत्।

उपस्थिति :–
1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से नेकाराम चौधरी।

–:निर्णयः–

दिनांकः 19.05.2026

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत **ग्राम पंचायत ऐरनपुरा रोड़ वर्तमान ग्राम पंचायत जवाई बांध के पट्टा क्रमांक 1170 जो प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 21.03.1998 द्वारा जारी को निरस्त करवाने हेतु** पेश की गई। निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गलथनी, ग्राम पंचायत जवाई बांध तहसील सुमेरपुर में स्थित खसरा नम्बर 397 में से 0.03 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थीनी का एक वाडा जिस पर प्रार्थीनी का कब्जा अपने ससुर स्व. अनाजी के जीवनकाल से चला आ रहा है पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से प्रार्थीनी का खसरा नम्बर 397 में से 0.03 हैक्टेयर भूमि पर वाडा के रुप में कब्जा पुश्तैनी रुप से प्रार्थीनी के ससुराल आने से पूर्व उनके सास ससुर का व उनकी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 444/2024

उनवान : पवनी देवी के कायम मुकाम वारिसान देवाराम व अन्य बनाम भंवरलाल व अन्य

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

मृत्यु के बाद प्रार्थीनी का भौतिक रुप से कब्जा चला आ रहा है, जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थीनी अपने मवेशी बांधने हेतु, मवेशियों हेतु घास, चारा आदि स्टोरेज करने हेतु एवं अपने कृषि औजार को रखने हेतु उक्त वाडे का उपयोग करती आ रही हैं। प्रार्थीनी का बाडा पर कब्जा अपने ससुर के जीवनकाल से चला आ रहा है। प्रार्थी के ससुर की मृत्यु होने के बाद तहसीलदार सुमेरपुर ने पटवारी हल्का जवाई बांध की अतिक्रमण की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीनी के विरुद्ध धारा 91 एल आर एक्ट में भी कार्यवाही की, जिस बाबत तहसील कार्यालय में संधारण की जाने वाली खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त बाबत बनाये जाने वाले परफॉमा में सम्वत् 2068 से लगाकर सम्वत् 2075 तक यानि सन 2018–19 तक प्रार्थीनी का उक्त वाडा पर कब्जा रिकॉर्ड से भी साबित है। उक्त वाडा पर प्रार्थीनी का वर्तमान में भी बहैसियत मालिक के कब्जा है। लेकिन प्रार्थीनी के इस कब्जे को नजरन्दाज करते हुये प्रार्थीनी के बिना जानकारी के तत्लालीन ग्राम पंचायत ऐरनपुरा रोड़ के सरपंच व अन्य कर्मचारियों ने मिलकर अप्रार्थी संख्या एक के नाम एक पट्टा क्रमांक 1170 जरिये मिसल संख्या 21/95–96 दायरा दिनांक 17.10.95 के जरिये विक्रय विलेख दिनांक 21.03.98 को अप्रार्थी के नाम ज़रिए ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 21.03.1998 के द्वारा प्रस्ताव पारित कर जारी कर दिया। जिस प्रस्ताव व पट्टा विलेख को निरस्त करवाने हेतु उपरोक्त निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:–

1. यह कि प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 21.03.1998 विधि विरुद्ध एवं कानून के विरुद्ध पारित किया जाकर उसके आधार पर अप्रार्थी संख्या दो द्वारा प्रार्थी संख्या एक के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है वह कानून के विरुद्ध होने से काबिल खारिज है।
2. यह कि अप्रार्थी संख्या दो ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव जैर निगरानी पारित करने से पूर्व प्रार्थीनी का मौके पर भौतिक रुप से कब्जा होते हुये भी ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीनी को सुनवाई का कोई अवसर नही देकर आदेश जैर निगरानी पारित किया गया है जो कानूनन गैर कानुनी व अवैध होने से काबिल खारिज है।
3. यह कि अप्रार्थी संख्या दो ने अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में आबादी भूमि का विक्रय विलेख संख्या 1170 दिनांक 21.03.1998 को अपने संकल्प संख्या 09 दिनांक 21.03.98 की पालना में रुपये 200/– में निम्न पड़ौस बीच की भूमि का जारी किया गया है:–
   उत्तर में:– अनाजी मेणा का प्लॉट
   दक्षिण में:– लक्ष्मण जी मेणा का प्लॉट
   पूर्व में :– वाली
   पश्चिम में:– आम रास्ता व निकाल
   आगे इस पड़ौस के भूखण्ड का पट्टा संख्या 1170 जारी किया गया है उसको आगे इस प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त पट्टा के नाम से सम्बोधित किया गया है।
4. यह कि वादग्रस्त पट्टा जिस भूमि का जारी किया गया है उस भूमि पर मौके पर भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थीनी का हैं जिस बाबत पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार सुमेरपुर ने प्रार्थीनी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। जिस बाबत इन्द्राज खसरा परिवर्तनशील में दर्ज है। इस प्रकार इन दस्तावेजों से साबित है कि प्रार्थीनी का कब्जा मौके पर भौतिक रुप से होते हुये भी अप्रार्थी संख्या एक के विरुद्ध अप्रार्थी संख्या दो द्वारा जो विवादग्रस्त पट्टा विलेख जरिये प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 21.03.1998 को जारी किया गया है, वह सरासर गलत है। उक्त प्रस्ताव पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीनी को सुनवाई का अवसर नही देकर प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध भी कार्य किया हैं जिस कारण भी यह पट्टा काबिल खारिज योग्य है एवं इस बाबत पारित प्रस्ताव भी काबिल खारिज है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 444/2024

उनवान : पवनी देवी के कायम मुकाम वारिसान देवाराम व अन्य बनाम भंवरलाल व अन्य

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

5. यह कि वादग्रस्त पट्टा जिस भूमि का जारी किया गया है वह कृषि भूमि बताई जा रही थी इसी कारण तहसीलदार द्वारा धारा 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही थी। कभी भी तहसीलदार सुमेरपुर या पटवारी हल्का जवाई बांध ने भी प्रार्थीनी को नही कहा कि वादग्रस्त पट्टा विलेख की भूमि आबादी भूमि है। वादग्रस्त पट्टा विलेख की भूमि को राजस्व भूमि मानते हुये ही सम्वत् 2068 से लगाकर सम्वत 2075 तक यानि सन् 2018–19 तक प्रार्थीनी के विरुद्ध धारा 91 एल आर एक्ट के तहत अतिक्रमण मानते हुये कार्यवाही की जाती रही है जब मौके पर भौतिक रुप से प्रार्थीनी का कब्जा साबित है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या दो द्वारा प्रार्थी संख्या एक पक्ष में विवादग्रस्त पट्टा विलेख जारी किया गया है जो बिना कब्जे जारी किया हुआ होने से अवैध व शून्य है। जिस कारण प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 21.03.1998 व इसके आधार पर जारी विवादग्रस्त पट्टा विलेख निरस्त होने योग्य है।
6. यह कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो से मिलावट कर गैर कानूनी रुप से वादग्रस्त पट्टा विलेख की भूमि को अपनी पुश्तैनी भूमि बताकर बातचीत द्वारा विक्रय के लिये 200/– रुपये की बाजार दर पर वादग्रस्त पट्टा की भूमि प्राप्त की है। जो सरासर गलत व गैर कानूनी है। जबकि अप्रार्थी संख्या एक को यह भली भांति ज्ञान व जानकारी रही है कि वादग्रस्त पट्टा विलेख की भूमि प्रार्थीनी के कब्जे व उपयोग की भूमि है इस प्रकार प्रार्थीनी के कब्जे की वादग्रस्त पट्टा विलेख की भूमि का पट्टा बिना कब्जे के जारी किया हुआ होने से निरस्त होने योग्य है।
7. यह कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में वादग्रस्त पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व प्रार्थीनी को, प्रार्थीनी के पति को, प्रार्थीनी के परिवा के किसी सदस्यो को सुनवाई का समुचित अवसर नही देकर बाले बाले बिना कब्जे के विवादग्रस्त पट्टा विलेख अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में जारी कर दिया है जो पट्टा विलेख काबिल खारिज योग्य है।
8. यह कि अप्रार्थी संख्या दो ने वादग्रस्त पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व प्रार्थीनी को या प्रार्थी के परिवार के किसी सदस्यों को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया ओर वादग्रस्त विक्रय विलेख जारी करने से पूर्व जो राजस्थान पंचायत राज अधिनियम में सुस्थापित प्रक्रिया हैं उसकी पालना नहीं की गयी है। जिस कारण भी पट्टा विलेख निरस्त योग्य है।
9. यह कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के समक्ष जो प्रार्थना पत्र पेश किया उसमें पट्टा प्राप्त करने हेतु कितनी भूमि की आवश्यकता रहेंगी इस बाबत कोई नाप अपने प्रार्थना पत्र में नही लिखा एवं न ही यह जांच की, कि मौके पर भौतिक रुप से कौन काबिज है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अपने पक्ष में करवाये बयानों में भी बयान फॉर्म पर न तो अप्रार्थी के हस्ताक्षर हैं न ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मौके की जांच के समय कोई हस्ताक्षर करवाये। अप्रार्थी संख्या दो ने कब्जे की जांच करने बाबत कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की एवं न ही यह जांच करवायी की मौके पर 40–50 वर्षो से किस व्यक्ति का कब्जा है एवं काबिजदार व्यक्ति को खाली करवाये बिना एवं सूचना दिये बिना वादग्रस्त पट्टा विलेख ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज नियमों में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार तीन वार्ड पंचो की कमेटी द्वारा मौका देखा जाना एवं उसके बाद आम पब्लिक से आपत्तिया तलब करने बाबत कोई कार्यवाही नही करते हुए पंचायत राज नियमों की पालना नहीं करते हुए वादग्रस्त पट्टा विलेख जारी किया गया है जो काबिल खारिज योग्य है।
10. यह कि वादग्रस्त पट्टा विलेख में उल्लेखित मिसल संख्या 21/95–96 ऐसी कोई मिसल कायम की गयी न ही इस वादग्रस्त विक्रय विलेख में उल्लेखित जैसा कोई संकल्प पारित नहीं किया गया इस प्रकार पंचायत राज अधिनियम के तहत बने पट्टा बनाने के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

पंचायत निगरानी संख्या : 444/2024

उनवान : पवनी देवी के कायम मुकाम वारिसान देवाराम व अन्य बनाम भंवरलाल व अन्य

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

नियमों में वर्णित प्रक्रिया की पालना नहीं कर आदेश जैर निगरानी पारित किया गया है जो सरासर गलत व गैर कुननी निर्णय हैं। जिस कारण भी विवादग्रस्त पट्टा विलेख काबिल खारिज है।

11. यह कि पट्टा विलेख जिन नियमों के तहत जारी किया गया है उससे सम्बन्धित पंचायत राज अधिनियम/नियमों में नियम 140 आबादी भूमि की परिभाषा है। नियम 141 भूमि के विक्रय से संबंधित है नियम 143 आबादी क्षेत्रों में भूखण्डों को निलाम किये जाने का प्रावधान किया गया है परन्तु ग्राम पंचायत ने इस वादग्रस्त पट्टा विलेख को निष्पादन करते समय इस नियम की पालना नहीं की गयी है। नियम 145 क्रय के लिये आवेदन से संबंधित है जिसमें पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण विवरण मय नाप व पड़ौस के लिखना कानूनन जरुरी था, आवेदन पेश करते समय स्थल निरीक्षण के रुपये जमा करवाकर रसीद देने के बाद इस मामले में कोई निरीक्षण किसी भूमि का नही किया गया था, इसी कारण स्थल निरीक्षण के बाद स्थल का नक्शा तैयार किया जाता है जो नियम 146 के तहत किया जाना जरुरी है। उस रजिस्टर में प्राप्त आवेदन पर सचिव स्थल निरीक्षण के लिये तीन पंचो की समिति नियुक्त करेगा जो 15 दिन के भीतर भीतर स्थल निरीक्षण करेगा एवं अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत को पेश की जायेगी इस प्रकार स्थल निरीक्षण के पंचायत नियम 147 हेतु अन्तिम विनिश्चय के लिये पंचायत बोर्ड में पत्रावली पेश की जाती है उसके बाद नियम 148 में नोटिस प्रकाशित आपत्तियों बाबत किया जाता है जो नोटिस प्रस्तावित भूमि के सहजदृश्य स्थान पर चस्पा की जाकर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाने का नियम है उसके बाद नियम 149 के तहत आक्षेपो का निपटारा व बाद में नियम 150 के तहत भूमि का निलाम किया जाना, नियम 151 में निलाम समिति एवं नियम 152 में बाजार किमत पर भूमि विक्रय जारी करने करने के नियम है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि के अन्तरण का प्रावधान है। जिसमें उप नियम 1 अनुसार पंचायत किसी आबादी भूमि को प्राईवेट बातचीत द्वारा विक्रय के ज़रिए निम्न लिखित मामलों में अन्तरित कर सकेगी (क) जहां किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्यायसंगत हो ओर निलामी से उचित किमत प्राप्त नही सकती हो। (ख) जहां कोई अतिचार यानि लेखबद्ध किये जाने किसी भी अन्य कारण से पंचायत यह समझाते हो कि निलाम उस भूमि के निवृतन का सुविधाजनक ढंग नही होगा। (ग) जहां तक नियम 144 के उप नियम 1 व 2 के अनुसार भूमि की कोई पट्टी हो और कोई एक ही आवेदक हो तो ग्राम पंचायत उस नियम के तहत विक्रय विलेख जारी करने की अधिकारिणी है। इन नियमों के तहत जारी करने वाले आज्ञापक प्रावधानों व नियमों की पालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई जिस कारण भी विवादग्रस्त पट्टा विलेख व प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 21.03.98 अवैध व शून्य होने से काबिल खारिज है।

12. यह है कि वादग्रस्त पट्टा विलेख एवं प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 21.03.1998 की आड में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रार्थीनी को दिनांक 01.09.2024 को धमकी दी कि वादग्रस्त पट्टे की भूमि को खाली कर देना एवं बेदखल करने पर उतारु हुआ एवं धमकी दी की अपनी मवेशी, चारा, कृषि औजार, ट्रेक्टर कल्टी, हेरा, ट्रोली एवं अन्य बने हुए तमाम अलामत को मौके से हटा देना अन्यथा जे.सी.बी. मशीन से इन सबको गिराकर इस पर वह निर्माण कर देगा। जिस पर प्रार्थीनी द्वारा ग्राम पंचायत जवाई बांध से वादग्रस्त पट्टे की पत्रावली मय प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र तारीख 05.09.2024 को पेश किया जो नकले तारीख 09.09.2024 को प्राप्त हुयीजो नकले प्राप्त होने पर वादग्रस्त पट्टा विलेख व प्रस्ताव की जानकारी हुयी जिसकी जानकारी होते ही प्रार्थीनी द्वारा उपरोक्त निगरानी तैयार करवाकर पेश करवायी जा रही है जो निगरानी अन्दर अवधिकाल पेश है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 444/2024
उनवान : पवनी देवी के कायम मुकाम वारिसान देवाराम व अन्य बनाम भंवरलाल व अन्य
अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

13. यह है कि विवादग्रस्त पट्टा विलेख एवं प्रस्ताव जैर निगरानी ग्राम पंचायत जवाई बांध, पंचायत समिति सुमेरपुर द्वारा पारित किये जाने से उक्त पट्टा की भूमि व प्रस्ताव के विरुद्ध निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से यह निगरानी माननीय न्यायालय में पेश है।

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत का पट्टा विलेख संख्या 1170 को निरस्त करते हुये प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 21.03.1998 को अपास्त किया जावे।

पंचायत निगरानी याचिका दर्ज कर अप्रार्थीगण को ज़रिए सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक ज़रिए अधिवक्ता उपस्थित।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीनी द्वारा संक्षिप्त तथ्य गलत रुप से पेश किये गये है। प्रार्थीनी के खसरा नम्बर 397 का कुल रकबा नही बताया गया है एवं न ही अपने कब्जाशुदा भूखण्ड के संबंधित विशेष चर्तुदिशा बताई गई है एवं अप्रार्थी संख्या एक को जारी शुदा पट्टा पर गलत रुप से कब्जा होना बताया गया है चुंकि अप्रार्थीगण संख्या एक को जारीशुदा पट्टा क्रमांक 1170 वाला भूखण्ड आबादीशुदा जमीन पर जारी किया गया है जिससे धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट की कार्यवाही किया जाना गलत है। प्रार्थीनी का अप्रार्थीगण संख्या के पट्टा के स्थान पर कोई कब्जा नहीं है प्रार्थीनी गलत रुप से निगरानी प्रस्तुत की है। प्रार्थीनी की निगरानी याचिका म्याद बाहर होने से काबिल खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने निगरानी याचिका के आधारों का जवाब पेश कर निवेदन किया कि:–

1. पद संख्या एक गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण संख्या एक को प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 21.03.1998 के तहत विधिवत रुप से पट्टा जारी किया गया है। जिससे प्रार्थीनी की निगरानी याचिका काबिल खारिज योग्य है।
2. पद संख्या दो गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण संख्या दो द्वारा प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 21.03.1998 पारित करने से पहले दिनांक 12.06.1997 को आपत्तिया आमंत्रित करने का नोटीस जारी किया गया था इस प्रकार प्रार्थीनी का यह कथन करना कि उसको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया अपने आप में निरर्थक है।
3. पद संख्या एक में वर्णित पड़ौस वाला विक्रय विलेख संख्या 1170 दिनांक 21.03.1998 संकेतक संख्या 9 दिनांक 21.03.1998 सही रुपेण विधिवत रुप से पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत सही रुपेण जारी किया गया है जिससे प्रार्थीनी की निगरानी काबिल खारिज योग्य है पद संख्या 3 गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है प्रार्थीनी ने कथन किया कि पर वादी रिपोर्ट के आधार पर तहसील सुमेरपुर द्वारा 91 रा.भू.राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करना बताया है धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली की कार्यवाही होती है जो अतिक्रमी को बेदखली करने के लिये की जाती है प्रार्थीनी के उक्त पद में यह कही दर्शित नहीं किया है कि खसरा न. 397 रकबा 2.20 हैक्टेयर के किस विशेष भू–भाग पर कब्जा था। ग्राम पंचायत द्वारा विधिनुसार आपत्ति आमन्त्रण का सूचना पत्र जारी किया गया था एवं किसी भी व्यक्ति की आपत्ति पेश नहीं होने पर अप्रार्थीगण संख्या द्वारा प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 21.03.98 पारित किया गया जिससे प्रार्थीनी की निगरानी काबिल खारिज योग्य है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 444/2024
उनवान : पवनी देवी के कायम मुकाम वारिसान देवाराम व अन्य बनाम भंवरलाल व अन्य
अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

4. पद संख्या 04 गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। खसरा न. 397 ग्राम पंचायत की गैर मुमकीन भूमि थी एवं आबादी भूमि होने से ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 21.03.1998 सही रुपेण विधिवत रुप से पारित किया गया है।
5. पद संख्या 5 गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण संख्या एक द्वारा अप्रार्थीगण दो को अप्रार्थीगण संख्या एक द्वारा कब्जाशुदा प्लॉट का पट्टा जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर अप्रार्थीगण संख्या 2 ने दिनांक 17.10.95 कि आदेशिका के तहत पत्रावली कायम की थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 02 द्वारा नियमों के तहत संकल्प संख्या 9 दिनांक 21.03.1998 पारित कर पट्टा जारी किया था जो विधिनुसार था जिससे भी प्रार्थीनी की निगरानी खारिज योग्य है।
6. पद संख्या 6 गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण संख्या 02 द्वारा दिनांक 12.06.97 को आपत्ति आमन्त्रण सूचना पत्र जारी किया गया था। प्रार्थीनी ने किसी भी तरह की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। जिससे प्रार्थीनी का यह कथन कि प्रार्थीनी या उसके परिवार को सुना नहीं गया स्वतः गलत साबित होता है।
7. पद संख्या 07 गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। ग्राम पंचायत कि मिसल संख्या 21/95–96 के अवलोकन मात्र से स्पष्ट हो जाता है कि अप्रार्थीगण संख्या एक को पट्टा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जारी किया गया है जिससे भी प्रार्थीनी की निगरानी याचिका काबिल खारिज योग्य है।
8. पद संख्या 8 गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है पट्टा जारी करने से पहले तीन वार्ड पंचों द्वारा मौका देखा गया तथा सचिव द्वारा नक्शा बनाया गया तत्पश्चात ही विधि अनुसार पट्टा जारी किया गया जिससे प्रार्थीनी की निगरानी याचिका काबिल खारिज योग्य है।
9. पद संख्या 9 गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है अप्रार्थीगण संख्या दो ने विधिवत रुप से मिसल कायम कर पंचायत राज अधिनियम की पूर्णतः पालना करते हुये कार्यवाही की है जिससे भी प्रार्थीनी की निगरानी खारिज योग्य है।
10. पद संख्या 10 गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण संख्या 01 द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 02 को पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने के पश्चात अप्रार्थीगण संख्या 02 ने मिसल संख्या 21/95–96 कायम कर तीन सदस्यों की कमेठी द्वारा निरीक्षण किये जाने के पश्चात आपत्ति आमन्त्रण सूचनापत्र जारी कर सचिव द्वारा नक्शा तैयार कर एवं सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 21.03.1998 पारित कर पट्टा जारी किया गया जिससे भी प्रार्थी की निगरानी काबिल खारिज योग्य है।
11. पद संख्या 11 गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। चूंकि प्रार्थीनी का भौतिक रुप से कब्जा स्थित नहीं है। प्रार्थीनी उक्त पद में असत्य कथनों का समावेश किया है चुकि प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 21.03.1998 को पारित कर पट्टा जारी किया गया। प्रार्थीनी ने करीब 26 वर्षो बाद निगरानी याचिका पेश की है जो म्याद बाहर होने से काबिल खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थीनी की निगरानी का जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीनी की निगरानी मय खर्चा खारिज फरमावें।

प्रकरण के संबंध में अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने निगरानी याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दलील पेश की कि ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख से संबंधित भूमि पर प्रारम्भ से ही प्रार्थिया का कब्जा चला आ रहा है, किन्तु ग्राम पंचायत ऐरनपुरा रोड़ द्वारा इस तथ्य को नज़रअन्दाज करते हुए तथा अप्रार्थी श्री भंवरलाल का कब्जा नहीं होते हुए भी उसके पक्ष में भूमि विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है, जो प्रथमदृष्टया

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली- जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 444/2024
उनवान : पवनी देवी के कायम मुकाम वारिसान देवाराम व अन्य बनाम भंवरलाल व अन्य
अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

ही काबिल खारिज है। यह भी, कि प्रश्नगत भूमि विक्रय विलेख निष्पादित करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा प्रक्रियात्मक एवं वैधानिक प्रावधानों की पालना भी नहीं की गई है, जिससे पट्टा संबंधि कार्यवाही निरस्त योग्य है।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने उपरोक्त तर्कों का प्रतिकार करते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी का ही कब्जा है एवं ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों के अन्तर्गत विहित सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना करते हुए ही भूमि का विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है। प्रार्थिया ने जिस भूमि पर अपना कब्जा होने का कथन किया है उस भूमि की कोई चतुर्दशी स्पष्ट नही की है तथा यदि प्रार्थिया का कहीं कोई कब्जा है भी तो जैर निगरानी प्रश्नगत भूमि से संबंधित नहीं है। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने यह भी निवेदन किया कि प्रार्थिया द्वारा 26 वर्षों के असामान्य विलम्ब उपरान्त तथा मात्र अपुष्ट कब्जे के तर्क के आधार पर ग्राम पंचायत की पूर्णतः वैधानिक कार्यवाही को चुनौति दी है, जिसे खारिज फरमाया जाए। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपने तर्कों की पुष्टि हेतु न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) DNJ (Raj) 602 पेश किया, जिसका ससम्मान अवलोकन किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर तर्कों पर मनन किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत ऐरणपुरा रोड़ द्वारा मूल मिसल संख्या 21/95–96 में कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी श्री भंवरलाल के पक्ष में ज़रिए प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 21.03.1998 के भूमि विक्रय विलेख संख्या 1170 बमाप 2800 वर्गफीट निष्पादित किया। निगरानीकर्ता द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के प्रावधानान्तर्गत हस्तगत निगरानी याचिका के माध्यम से उपरोक्त भूमि विक्रय कार्यवाही को प्रमुखतः इस आधार पर चुनौति दी है कि ज़ैर निगरानी विवादग्रस्त भूमि पर प्रारम्भ से ही प्रार्थिया का ही कब्जा है, एवं अप्रार्थी के कब्जे के अभाव में उसके पक्ष में भूमि विक्रय सम्बन्धि समस्त कार्यवाही अवैधानिक है।

प्रार्थीगण द्वारा याचिका के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने स्वयं के तथाकथित कब्जे के प्रमाण के रुप में जो दस्तावेज यथा खसरा परिवर्तनशील प्रपत्र इत्यादित प्रस्तुत किए हैं, उनमें खसरा संख्या 397 में प्रार्थिया का 0.03 हैक्टेयर भूमि पर संवत् 2068 वर्ष 2011–12 से ही कब्जा होना प्रमाणित है जबकि ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख सम्बन्धि कार्यवाही उससे पूर्व मिसल 21/95–96 में दायर दिनांक 17.10.1995 से प्रारम्भ हो गई थी। अर्थात् आलोच्य प्रस्ताव संख्या 09 एवं पट्टा विलेख संख्या 1170 दिनांक 21.03.1998 की तिथि तक स्वयं के कब्जे बाबत् याचिकाकर्ता द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि ग्राम गलथनी (ऐरणपुरा रोड़) का खसरा संख्या 397 मिसल बन्दोबस्त 2037 से 2056 से ही ग्राम पंचायत के खाते में स्थित आबादी भूमि है जिसके विक्रय हेतु ग्राम पंचायत पूर्णत अधिकृत है। यह भी, कि उक्त खसरा संख्या 397 का कुल रकबा 2.20 हैक्टेयर है, जिसमें प्रार्थीगण का 0.03 हैक्येर मात्र पर कब्जा है। अतः काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष का यह तर्क स्वीकार योग्य है कि अपने तथाकथित कब्जे के सम्बन्ध में प्रार्थीपक्ष द्वारा कोई चतुर्दशी अंकित नहीं की है, जिसके अभाव में यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि ज़ैर निगरानी विवादग्रस्त भूखण्ड पर प्रार्थीपक्ष का कब्जा हो।

सारांशतः, प्रार्थीगण द्वारा निगरानी याचिका में स्वयं के जिस कब्जे का कथन किया है, उक्त तथाकथित कब्जा आलोच्य भूमि विक्रय की कार्यवाही सम्पन्न होने के बाद की अवधि का कब्जा होना स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से ही स्पष्ट है तथा उक्त कब्जे के सम्बन्ध में स्पष्ट चतुर्दर्शी अथवा अन्य कोई ठोस दस्तावेज के अभाव में प्रार्थीपक्ष यह कथन सिद्ध करने में

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 444/2024

उनवान : पवनी देवी के कायम मुकाम वारिसान देवाराम व अन्य बनाम भंवरलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

असफल रहे है कि ज़ैर निगरानी भूमि विलेख से सम्बन्धित भूखण्ड प्रारम्भ से ही उनके कब्जाधीन है। ऐसी स्थिति में, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 में उपबन्धित 'हितबद्ध व्यक्ति' की श्रेणी में भी प्रार्थीगण को शामिल नहीं माना जा सकता।

उपरोक्त विश्लेषण एवं वजूहातों के आधार पर न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि ग्राम पंचायत ऐरणपुरा रोड़ द्वारा मिसल संख्या 21/95–96 में सम्पादित कार्यवाही में कोई हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **19.05.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)